फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री शंकरलाल नागदा पिता श्री खुमाण लाल नागदा निवासी गांव फतेहपुर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर — प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 30/2026

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक **25.05.2026**	

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से जरिये पत्र क्रमांक: RTI/2026/214-15 दिनांक 21.05.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री शंकर लाल नागदा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 23.03.2026 द्वारा चाही गई सूचना का जवाब प्रार्थी को दिनांक 10.04.2026 से जरिये डाक उपलब्ध करा दिया गया है

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर द्वारा जरिये पत्रांक RTI/2026/64 दिनांक 10.04.2026 से प्रार्थी को सूचित किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं है।

अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर द्वारा जरिये पत्रांक RTI/2026/64 दिनांक 10.04.2026 से प्रार्थी को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)